प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण दिखावामात्र नहीं है यह तो संविधान की एक आवश्यकता है और विपक्ष के जिन सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया है जनता ने इसे विरोध न समझ कर उनका अपमान माना है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मेरा अपना विचार है कि उन सदस्यों ने अपने मतदाताओं के साथ ऐसा कर के अन्याय किया है, और यदि मैं यह कहूं. . . . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र: उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने मद्रास विधान सभा में क्या किया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैं उनके आचरण की सराहना नहीं करती हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हम यहां पर जनता के दुःख प्रकट करने के लिये भेजे गए हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: आप तो हर रोज अपनी बात यहां कहते हैं। इस समय तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए (अन्तर्बाधायें)

एक सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई रस अथवा रंग नहीं है परन्तु यह गलत है। अभिभाषण में इससे कहीं महत्वपूर्ण तत्व, सच्चाई निष्ठा और निश्चय विद्यमान है।

गतवर्ष इसी समय हम युद्धरत थे और तब मैंने कहा था कि हमारी विजय की हमें भारी कीमत देनी होगी जो देश की प्रत्येक गतिविधि में कठिनाई के रूप में होगी परन्तु इन कठिनाइयों में सूखे से और वृद्धि हुई है परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार और जनता मिल कर यह विपदा भी झेल लेंगे जैसे कि 1971 में हमने किया। विपक्ष तो सदा निराशावादी ही रहा है परन्तु सरकार और जनता ने अपने दृढ़ संकल्प से सिद्ध कर दिया है कि बड़े से बड़े संकट का मुकाबला भी कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिये इन भाषणों का सरकार और उसकी नीतियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और हमें विश्वास है कि भविष्य में भी हमें वैसे ही सफलता मिलेगी।

गत 25 वर्षों में देश ने काफी मनोबल और आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है और इसीलिये मुझे विश्वास है कि देश 1973 की चुनौतियों का भी सामना कर लेगा।

विपक्षी सदस्य यहां तो अत्याधिक मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार की बात करते है और बाहर तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं (अन्तर्बाधायें)

श्री श्यामनन्दन मिश्र: ये कार्य तो आप करते रहे है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: कभी नहीं। अपनी विजय पर भी मुझे अभिमान नहीं था (अन्तर्बाधायें) मैं श्री मिश्र को याद दिलाना चाहती हूं कि चुनाव निर्धारित समयानुसार कराये गए थे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: आपने चुनाव में विपक्ष को धोखा दिया। आप हमारा अपमान करती रहीं। (अन्तर्बाधायें)

श्रीमती इन्दिरा गांधी: वास्तव में पहली बार चुनाव समय से पूर्व सम्पन्न हुए हैं। हमने निर्णय किया था कि. . . . . ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: क्या आप हम से चुनाव स्थगित करने की बात नहीं कर रही थीं ?. . . . . (अन्तर्बाधायें)

श्रीमती इन्दिरा गांधी: यह विचार युद्ध के चलते किया गया था परन्तु युद्ध समाप्त होने पर चुनाव स्थगित करने का कोई कारण नहीं था।

सरकार के समक्ष मार्ग इतना सुगम नहीं है कि तेजी से आगे बढ़ा जा सके--यह किसी के लिये भी संभव नहीं है। सरकार के समक्ष सब से प्रथम कार्य राहत जुटाना है जिसके लिये सभी जुटे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र और त्रिपुरा में 48 लाख लोग 90,000 राहत कार्यों में जुटे है।

1973-74 के लिये विशेष खाद्य योजना बनाई गई है जिसके अधीन रबी और अगली खरीफ की फसल में वृद्धि करने के उपाय शामिल हैं । कभी कभी कहा जाता है कि एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य का अधिक ध्यान रखा जाता है । ऐसा नहीं है हमें सभी क्षेत्रों में लोगों की समान रूप से चिन्ता रहती है और उनकी कठिनाइयां दूर करने का हम प्रयास करते हैं ।

कहा गया है कि सूखा तो देश में सदा ही पड़ता है परन्तु इस वर्ष जो सूखा पड़ा है वह असाधारण है और जिन देशों ने कभी अन्न का आयात नहीं किया है वे भी इस से प्रभावित हुए हैं और उन्हें भी अन्न दूसरे देशों से मंगाना पड़ा है । संयुक्तराष्ट्र ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित देशों की सहायता के प्रयास किये हैं । हमारे प्रयत्नों के परिणाम से ही हमें इतने कठिन समय में बहुत कम मात्रा में अन्न का आयात करने की आवश्यकता पड़ी है ।

वर्षा पर आश्रित इलाकों में इस वर्ष मोटे अनाज के उत्पादन पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा है । हमारी विकास-शील गतिविधियों के परिणामस्वरूप गेहूं के उत्पादन में प्रति वर्ष काफी वृद्धि होती रही है । देश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये इस समय एक विशेष दल योजना तैयार कर रहा है और पांचवी योजना में इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से आरम्भ करना सरकार के लिये संभव हो सकेगा ।

इस समय हमारे लिये चिन्ता का एक सबसे बड़ा विषय खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि है । कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया है और लोगों के मन में आरम्भ से ही अनाज की कमी की धारणा उत्पन्न करने के प्रयास किये गये है जिनके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर सट्टाबाजी तथा जमाखोरी को स्थान मिला है । आगामी फसल से गेहूं का थोक व्यापार अपने नियंत्रण में लेने की जो हमारी योजना है, उससे यह सभा अवगत है । इस योजना का उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था से उन कुछ कारणों को समाप्त करना है जो सट्टाबाजी तथा जमा-खोरी को प्रोत्साहन देते है । यह सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार है, जिसका निहित स्वार्थ विरोध करेंगे और इसे असफल करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास किये जायेंगे । लेकिन सरकार इसका दृढ़ता से सामना करने के लिये कटिबद्ध है । इस योजना के कार्यकरण को सफल बनाने के लिये राज्य सरकारों को सभी आवश्यक प्रशासनिक और संगठनात्मक सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है । किन्तु जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कार्यक्रमों को कुचला नहीं गया है अपितु इसके विपरीत उन्हें आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है । ये कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में पूरे जोर-शोर से कार्यान्वित किये जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगार बना दिया गया है । हम यह नहीं कहते कि हमने समूची समस्या हल कर ली है और न ही हम यह कहते हैं कि हम समूची समस्या हल कर लेंगे । हमने तो केवल यह कहा है कि यह शुरूआत है और इस विशेष कठिन स्थिति में थोड़ी सी प्रगति है । इस दिशा में गत दो वर्षों से किये गये मुख्य प्रयासों और अब तक की उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता है । आज से दो वर्ष पहले कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि हम बंगला देश की स्थिति का सामना नहीं कर सकते । लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि हमने इस चुनौती का सामना बड़ी दृढ़तापूर्वक किया है ।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, मंत्रियों के एक दल ने गत कुछ महीनों के दौरान इस समूचे प्रश्न पर विचार किया है और विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात वर्तमान तापीय बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों से मई 1973 तक लगभग 500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने का ठोस कार्यक्रम तैयार किया है । अगले तीन महीनों में सभी बिजली उत्पन्न करने वाले संयंत्रों के लिये कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे और समन्वित तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किये जायेंगे । चयन की गई विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ाई जायेगी जिससे वर्ष 1973 के अन्त तक लगभग 1300 मैगावाट अतिरिक्त बिजली और वर्ष 1974 के अन्त तक 1750 मैगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त की जायेगी । उर्वरकों के लिये भी समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

एक माननीय सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता की बात कही है। हमारी औद्योगिक नीति पूर्णतया स्पष्ट है। सरकारी निर्णय 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार लिये जाते हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के लिये तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये स्थान आरक्षित है तथा जिसमें दोनों के लिये अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिये भी क्षेत्र आरक्षित किया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं में समय समय पर योजना और हमारे विकास कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया जाता है। जब किसी मिल अथवा खान का प्रबंध सुचारू ढंग से नहीं चलाया जाता अथवा इसे आधुनिक नहीं बनाया जाता अथवा पूंजी विनियोजन नहीं किया जाता तो लगातार उत्पादन तथा रोजगार और इन्हें आधुनिक बनाने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिये सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में ले लेती है और तब यह प्रचार बढ़ा-चढ़ा कर किया जाता है कि सरकार प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है।

जहां तक हमारा संबंध है हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। जहां लोकहित के लिये राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा वहां हम ऐसा करने से कभी संकोच नहीं करेंगे। किन्तु हम इस बात में विश्वास नहीं रखते कि किसी चीज को अपने हाथ में लेने के लिये हम उनका राष्ट्रीयकरण कर दें। मैं जिस समाजवाद की बात करती हूं उस का अर्थ यह नहीं हैं कि सब कुछ सरकार ही करेगी। हम वास्तव में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहते हैं, जिससे करोड़ों लोग स्वयं उन्नति कर सकें।

विश्व में अनेक ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को सफल नहीं देखना चाहती। निश्चित ही वे लोग हमारे दृढ़-कथन तथा बड़ी खूबी से चुनौती का सामना करने की योग्यता से परेशान हैं। भारत केवल स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकता है और हमारे सफल कार्यों ने यह बात सिद्ध कर दी है। दिसम्बर 1971 से हमें एक प्रभावी शक्ति के रूप में नई बात कही जा रही है। मैंने इसे कभी भी प्रशंसा के रूप में नहीं लिया। मेरे विचार से हमारे पड़ौसी देशों और हमारे बीच संदेह पैदा करने का यह एक घृणित प्रयास है। भारत में हम लोग शक्ति की राजनीति मे विश्वास नहीं करते हैं। यदि भारत की अपनी कोई शक्ति है तो यह शक्ति सबसे पहले हमारी अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही प्रयोग की जायेगी और तदुपरांत इस शक्ति का प्रयोग अन्य देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, की स्वाधीनता के समर्थन में किया जावेगा।

यह बड़े दुःख की बात है कि अभी भी कुछ देश भारत -विरोधी प्रचार में लगे हुए है। एक अन्य माननीय सदस्य ने बताया है कि यह शर्म की बात है कि हम कुछ ऐसे देशों के साथ मित्रता करने की बात करते रहते है जो हमारे मित्र नहीं बनना चाहते। प्रश्न यह नहीं है कि कौन मित्र नहीं बनना चाहता बल्कि यह है कि हमारे राष्ट्रीय हित में कौन सी बात हैं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जो हमारे देश को कमजोर करे। हम सभी देशों से मित्रता रखना चाहते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मित्रता की भीख मांगते फिरते हैं। हम तो सम्मान और समानता के आधार पर मित्रता चाहते हैं जो हमारे दोनों देशों के अनुरूप हो और लाभप्रद हो।

एक अन्य सदस्य युद्धबन्दियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हल न किया जा सके। न तो बंगला देश और न ही भारत ने इस समस्या के समाधान में अड़चनें पैदा की हैं। परन्तु भारत से यह आशा करना कि बंगला देश की सहमति के बिना वह युद्धबंदियों को रिहा कर दे तर्कहीन और अवास्तविक होगा। इसके साथ ही हम उन 4 लाख बंगाली नागरिकों और सैनिकों को कैसे भूल सकते है जिन्हें नौकरियों मे हटा दिया गया है और उन्हें कैम्पों में रखा गया है। आज का तथाकथित विश्वजनमत जो युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में चिंतित है इन निरीह लोगों के प्रति बिल्कुल चुप हैं। हम युद्धबन्दियों को अपने यहां नहीं रखना चाहते। वे हम पर बोझ है और उनसे हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती किन्तु कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को समझना और उनका हमें सामना करना ही होगा।

अब मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या कानून और व्यवस्था और हिंसा से संबंधित प्रश्न, का उल्लेख करना चाहूंगी। यहां पर यह कहा गया है कि हिंसा में वृद्धि हुई है अथवा कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है क्योंकि हमने लोगों की इच्छाओं और आशाओं को बढ़ा दिया है। माननीय सदस्यों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम समाज में परिवर्तन लेना चाहते हैं तो इस परिवर्तन से उन लोगों को कुछ लाभ पहुंच सकते हैं जिन्हें पहले यह नहीं प्राप्त होते थे। दूसरा तरीका यह है कि हम यथास्थिति बनाए रखें जिसका अर्थ है कि जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है उनकी उपेक्षा होती रहे।

आन्ध्र प्रदेश की समस्या का बड़ा लम्बा इतिहास है। वहां पर जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है वह वर्षों की घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उस बारे में मुझे बहुत चिन्ता है। जिन लोगों ने कष्ट सहे हैं और जिन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं उनसे मुझे पूरी सहानुभूति हैं। मैं जनता की भावनाओं का भी आदर करती हूं। आन्ध्र प्रदेश में लोगों में उत्पन्न गलतफहिमी के कारण पूरी स्थिति ने एक विभिन्न मोड़ ले लिया है।

इस प्रकार के उत्तेजित वातावरण में कोई निर्णय देना उचित नहीं होगा। चाहे हमारे उद्देश्य उदार हों और भावनायें कितनी ही उदार क्यों न हों किन्तु इनके फलस्वरूप भारी हिंसात्मक घटनायें हुई है। तोड़-फोड़ के कार्यों से रेलवे की संचार व्यवस्था में भी बाधा पहुंचाई गई है। हमें पता है कि वहां कुछ भय और तनाव की स्थिति थी। अनेक लोगों ने मुझ को लिखा है कि उनके साथ किस प्रकार का बल प्रयोग किया गया था। ये सब घटनायें वहां घटी हैं।

विद्यार्थियों और अराजपत्रित कर्मचारियों ने इस संघर्ष में मुख्य रूप से भाग लिया है और सब से अधिक हानि भी उन्हीं को हुई है। छात्रों की शिक्षा और अध्ययन का नुकसान हुआ है और अराजपत्रित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को अन्य कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। जनसाधारण को भी बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। मुझे इन सब बातों का बहुत खेद है। किन्तु हमें बताया गया है कि यह सब इस कारण से हुआ है कि वहां पिछड़ापन है आर्थिक असमानता और कुछ लोगों को वहां दूसरे दर्जे के नागरिक समझा जाता है। इन सब बातों में से सम्भवतः कुछ बातें न्यायसंगत हो सकती हैं। किन्तु पिछड़ेपन को तो हमें अपने सब सब संसाधनों को एकत्रित करके ही दूर करना होगा न कि अलग होकर। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट करने से तो देश में केवल गरीबी और पिछड़ापन ही बढ़ेगा। संघर्ष के दौरान संचार व्यवस्था आदि पहुंचाई गई क्षति को ठीक करने और उसकी पूर्ति करने में बहुत समय लगेगा। मैं नहीं जानती यहां प्राथमिकता देने के लिये अन्य परियोजनाओं की अवहेलना करना कहां तक उचित होगा।

जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि निर्णय उत्तावलेपन या किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं लिए जा सकते। इसके लिये शांति होनी आवश्यक है। समस्या के सब पहलुओं पर शांति से बातचीत करने की आवश्यकता होती हैं। अतः इस समस्या के सब पहलुओं और व्यक्त किए गए मतों पर उचित रूप से अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री एस०बी० गिरि (वारंगल) : हम आपकी घोषणा की शांति से प्रतीक्षा कर रहे है। लोगों में बहुत असंतोष है इसलिये घोषणा अविलम्ब की जानी चाहिए।

श्री रीलू मोदी (गोधरा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिससे इस पर निर्णय लिया जा सके। क्या इसे आप पर ही छोड़ा जा सकता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में इस समस्या को सरकार पर ही छोड़ा जाना चाहिए। सरकार ही इस पर कुछ निर्णय लेगी। वह भी तब जब वातावरण शान्त होगा और लोगों में उत्तेजना नहीं होगी।

छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने अध्ययन में लगे और सरकारी कर्मचारी विशेषकर अराजपत्रित कर्मचारी, जिन्हें कठिनाई हो रही है, अपने काम में लगे। (**अन्तर्बाधाय**)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने शिक्षा या छात्रों के बारे में विस्तार से बात चीत या चर्चा नहीं की है। वस्तुतः हम सब इस सम्बन्ध में बहुत चिंतित है और सरकार इस बारे में काफी सोच-विचार कर रही है। यह समस्या इतनी आसान नहीं है, देश घट रही अन्य सब घटनाएं भी इस समस्या से मिली हुई हैं और उनका हल सरल नहीं है।

हम संसद में राजनीतिक खेल नहीं खेल रहे हैं। हम वहां राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि जिस पथ पर हमने चलने का निश्चय किया है, देश के अधिकांश लोगों ने भी उसे स्वीकार किया है। यह सच है कि इसमें कुछ कमियां हैं किन्तु हमने उन्हें ठीक करने का भी प्रयास किया है। हमारे कार्यक्रमों में कमियों और कठिनाइयों के होते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं।

संसद में देश के लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए न कि बेकार के उपदेश दिए जायें।

एक माननीय सदस्य ने दूसरे लोगों को बलि का बकरा बनाये जाने की बात की है। किन्तु जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती। मैं अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटती। किन्तु ऐसा सब कुछ तो विपक्षी दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये और किसी नीति निर्धारण करने में अपनी असमर्थता को छिपाने के लिये दूसरों पर दोष रखकर उन्हें बलि का बकरा बनाने का प्रयास करते हैं।

जहां तक मैं जानती हूं मैं तो यही कहूंगी कि विपक्षी दल भारत में जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारे देश वासी निर्बल और इससे जनता की इच्छा शक्ति क्षीण होगी। जो सफलता जनता ने प्राप्त की है उसे भी विपक्ष कम आंकता है।

विश्व की परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। एशिया में भी जो परिस्थितियां हैं वे बहुत नाजुक हो रही हैं। जैसा कि मैं अपने दल की बैठक में कह चुकी हूं कि आज विश्व के अनेक भागों में चिरस्थापित मानदण्ड बदल रहे हैं। अब समय आ गया है जब समूचे भारत राष्ट्र को पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अन्तर को समझा जा सके। हमें उस राष्ट्र जो सामाजिक रूप से बेहतर है आर्थिक रूप सें अधिक दृढ़ है और नैतिक और बौद्धिक रूप सें कहीं अधिक स्वतंत्र है, का स्वरूप अपने सामने रखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : वह तो मौन विपक्ष चाहती हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: मैं मौन विपक्ष नहीं चाहती। मैं अपने दल और विपक्षी दलों से अपील करती हूं कि वे समय की गम्भीर चुनौती को स्वीकार करें और जनता ने संसद में जो विश्वास व्यक्त किया है उसे सार्थक सिद्ध करें। हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से विश्वास और कठोर परिश्रम से ही इन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। हमें जनता के विश्वास को नहीं खोना चाहिए।

अतः मेरा सब माननीय सदस्यों से अनुरोध हैं कि अपने संशोधनों को वापस ले लें और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 1 से 20, 47 से 57 और 233 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए
Amendment Nos. 1 to 20, 47 to 57 and 233 were put and negatived

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन मैं अपने संशोधन संख्या 21 पर मत-विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिय रखा गया।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided

पक्ष में	**45**	**विपक्ष में**	**258**
Ayes	**45**	**Noes**	**258**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन संशोधनों को बता दें जिन पर वह मतदान चाहते हैं

श्री एम० सत्यनारायण राव : संख्या 199

श्री जगन्नाथ राव जोशी : संख्या 49

श्री ज्योतिर्मय बसु : संख्या 466

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संख्या 306

श्री दशरथ देव : संख्या 105 और 109

श्री पी० के० देव : संख्या 91

श्री सेझियान : संख्या 447

श्री पी० एम मेहता : संख्या 204

श्री मधु दण्डवते : संख्या 71